



राजस्थान सरकार

प्रारूप 'ख'

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा- 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(37)2009/ 5093

दिनांक: 26.8.2010

--: संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा के आवेदन अनुसार ग्राम रामगढ तहसील महवा में स्थित उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(जी) के अधीन संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए इनके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

(1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा
(2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं
(3) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम  (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)  (ग) प्रत्येक खसरा संख्या की क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा  ख0नं0 133 रकबा 0.20है0, = 2000 वर्गमीटर  ख0नं0 133 रकबा 0.20है0 = 2000 वर्गमीटर
टिप्पणी:- कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शों में सुसंगत सम्यक रूप से सत्यापित - प्रति सलग्न है।	
(4) संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ
(5) संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी दर का 10 प्रतिशत यानि 13.20 रूपये प्रति वर्गमीटर से 26400/- ( छब्बीस हजार चार सौ रूपये)
(6) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये 140 18.8.2010 26400-00 (2) मद पी0डी0ए0 में : चालान सं0 दिनांक राशि रूपये - - -
(7) चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये - - -
(8) चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम(बैंक में जमा राशि दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये - - -
(9) क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया :-	नहीं

10 अन्य प्रविष्टियाँ यदि कोई हो :-


1. रूपान्तरित की गई भूमि मण्डावर रोड़ से सारापाड़ा जाने वाली ग्रामीण सड़क मार्ग से 260 मीटर दूर है। किन्तु इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार आवेदक द्वारा संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन का नियमानुसार लेआउट प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित की गई भूमि को संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
  2. आवेदक द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिये खुला छोड़ना होगा।
  3. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि के रूपान्तरण शुल्क की राशि के निर्धारण एवं गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
  4. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।
11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
  2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
  3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
  4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

11  
( एल.सी. असवाल )  
जिला कलक्टर, दौसा  
दिनांक: 26-8.2010

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(37)2009/ 5094-5102

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी महवा।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार महवा को उनके पत्र क्रमांक:रूपा./10/349 दिनांक 16.8.2010 के संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड महवा जिला दौसा।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति महवा।
7. पटवारी हल्का रामगढ तहसील महवा।
8. आवेदक अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा
9. गार्ड फाईल।

  
जिला कलक्टर  
दौसा 26/08/10



राजस्थान सरकार

प्रारूप 'ख'

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा- 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(76)2010/ 6817

दिनांक: 27-11-2010

--: संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा के आवेदन अनुसार ग्राम रामगढ तहसील महवा में स्थित उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(जी) के अधीन संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए इनके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

(1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा
(2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं
(3) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या की क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा ख0नं0 130/1298 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 132/1299 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 रकबा 0.17 है0 = 1700 वर्गमीटर ख0नं0 130/1298 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 132/1299 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 रकबा 0.17 है0 = 1700 वर्गमीटर
टिप्पणी:- कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शों में सुसंगत सम्यक रूप से सत्यापित - प्रति संलग्न है।	
(4) संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ
(5) संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी दर का 10 प्रतिशत यानि 20 रुपये प्रति वर्गमीटर से 34000/- ( चौत्तीस हजार रुपये)
(6) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये 165 6.9.2010 34000-00 (2) मद पी0डी0ए0 में : चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(7) चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(8) चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम(बैंक में जमा राशि दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(9) क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया :-	नहीं

... जारी

10 अन्य प्रविष्टियों यदि कोई हो :-

रूपान्तरित की गई भूमि एन.एच.11 से 3 कि.मी. तथा अन्य सड़क मार्ग से 300 मीटर दूर स्थित है। किन्तु इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार आवेदक द्वारा संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन का नियमानुसार लेआउट प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित की गई भूमि को संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

2. आवेदक द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिये खुला छोड़ना होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि के रूपान्तरण शुल्क की राशि के निर्धारण एवं गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
4. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-


1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

||  
( आर.एस. जाखड़ )  
जिला कलेक्टर, दौसा  
दिनांक: 23-11-2010

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(76)2010/ 68 (9) - 6826

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी महवा।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार महवा को उनके पत्र क्रमांक:टीआरए/रूपा./10/397 दिनांक 6.9.2010 के संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड महवा जिला दौसा।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति महवा।
7. पटवारी हल्का रामगढ तहसील महवा।
8. आवेदक अध्यक्ष बबेरवाल शिक्षा समिति महवा तहसील महवा जरिये प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकृष्ण कौम ब्राह्मण निवासी पाखर चौड़ा की तहसील महवा।
9. गार्ड फाईल।

  
जिला कलेक्टर  
दौसा

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा

संख्या:-राजस्व/भू.रूपा0/2019/

551

तारीख:- 29.03.2019

-: पुनरीक्षण संपरिवर्तन - आदेश :-

श्री जगमोहन पुत्र परसादीलाल हि0 1/2 नि0 वीरपुर तह0 महवा जिला दौसा (राज.) ध्यानसिंह पुत्र बदीप्रसाद हि0 1/2 नि0 मण्डेरू तह0 टोडाभीम जि0 करौली जाति मीना के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 10(4) के अधीन पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश जारी किये जाते हैं जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है:-

1. आवेदक/खातेदारी अधिकारी का नाम पिता/पति के नाम सहित श्री जगमोहन पुत्र परसादीलाल हि0 1/2 नि0 वीरपुर तह0 महवा जिला दौसा (राज.) ध्यानसिंह पुत्र बदीप्रसाद हि0 1/2 नि0 मण्डेरू तह0 टोडाभीम पूरा पता:

2. क्या आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:-

हाँ-

3. आदेश की सं0 तथा तारीख उपदर्शित करते हुये मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन:-राजस्व/भू.रूपा0/2019/290 दि0 22.02.2019 या

आदेश की तारीख और संख्या उपदर्शित करते हुये प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवंटित की गई थी:-

आवासीय

4. संपरिवर्तन भूमि का पुनरीक्षित प्रयोजन :-

शैक्षणिक प्रयोजनार्थ

5. संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा:-

(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत /तहसील का नाम:-

ग्राम रामगढ/रामगढ/महवा

(ख) भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल (हेक्टर में):-

138/1 रकबा 0.25 है0 में से 2259 वर्गमी0

(ग) प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल:-

1 कुल 2259 वर्गमीटर

टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें।

6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-

22.57/-प्रति वर्ग मीटर

7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम, चालान की सं0 तथा तारीख सहित:-

चालान नं0 GRN28394751 दिनांक 20.02.2019 HEAD 0029 प्रीमियम राशि 50986/-

8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर:-

45.14/-प्रति वर्ग मीटर

9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर की जमा कराई गई रकम :-

चालान नं0 GRN29449051 दिनांक 28.03.2019 HEAD 0029 प्रीमियम राशि 50980/-

10. चालान की संख्या तारीख सहित चारित, यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम:-

नहीं-

11. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, कि जमा कराई गई:-

नहीं-

12. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो:-

1. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने को सदैव बाध्य रहेगा।

2. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उनकी पालना की जावेगी।

नोट:- SH एवं NH-21 रोड के मध्य से निर्धारित सीमा 40 मीटर छोड़कर एवं M.D.R. रोड के मध्य से 25 मीटर छोड़कर तथा ग्रामीण रास्ते के मध्य से 12.50 मी0 छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है एवं इंडियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार/मापदण्ड अनुसार रोड के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जावेगा। जो भी लागू हो मान्य होगा।


11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा:-

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) संलग्न ले-आउट संपरिवर्तन आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तथा भूमि का उपयोग तदनुसार ही किया जावेगा।



विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी, महवा  
विहित प्राधिकारी की मुहर

तारीख:-

29.03.2019

सं0 राजस्व / भू. रूपा. / 2019

552-553

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा।

2. तहसीलदार, महवा।

3. ग्राम पंचायत रामगढ।

4. पटवारी हल्का रामगढ।

5. आवेदक श्री जगमोहन पुत्र परसादीलाल हि0 1/2 नि0 वीरपुर तह0 महवा जिला दौसा (राज.) ध्यानसिंह पुत्र बदीप्रसाद हि0 1/2 नि0 मण्डेरू तह0 टोडाभीम जिला करौली जाति मीना।

6. कार्यालय आदेश।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी, महवा  
विहित प्राधिकारी की मुहर

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा

संख्या-राजस्व/भू0रूपा0/2020/

तारीख- 29.01.2020

संपरिवर्तन - आदेश :-

श्री बबेरवाड शिक्षा समिति महवा रजिस्टर्ड सं0 127 दौसा 2002-2003 जरिये अध्यक्ष प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 पाखर तहसील महवा जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन आदेश जारी किये जाते हैं जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

- आवेदक/खातेदारी अधिकारी का नाम पिता/पति के नाम सहित  
रजिस्टर्ड सं0 127 दौसा 2002-2003 जरिये अध्यक्ष प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण  
पूरा पता: श्री बबेरवाड शिक्षा समिति महवा  
नि0 पाखर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)  
-नहीं-
- क्या आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:-
- संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-  
(क)ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम:- ग्राम रामगड/रामगड/महवा  
(ख)भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल (हैक्टर में):- 138/2 रकबा 0.25 है0 में से 0.2259 है0  
(ग) प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल:- कुल 2259 वर्गमी0  
टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
- संपरिवर्तन का प्रयोजन:- संस्थानिक (शैक्षणिक संस्था प्रयोजनार्थ)  
55.16513/-प्रति वर्ग मीटर
- संदेय प्रिमियम की दर:-
- चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रिमियम के अन्तर की जमा कराई गई रकम :-  
चालान नं0 0036913158 दिनांक 16.01.2020 HEAD 0029 प्रिमियम राशि 1300/-  
चालान नं0 0037156150 दिनांक 25.01.2020 HEAD 0029 प्रिमियम राशि 123320/-  
-नहीं-
- चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम:-  
कुल चालान राशि:-124620/-  
-नहीं-
- चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, कि जमा कराई गई:-  
-नहीं-
- क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 12 के अधीन जारी किया गया है:-  
-नहीं-
- अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो:-

1.राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने को सदैव बाध्य रहेगा।

2 राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उनकी पालना की जावेगी।

नोट:- SH एवं NH-21 रोड के मध्य से निर्धारित सीमा 40 मीटर छोड़कर एवं M.D.R. रोड के मध्य से 25 मीटर छोड़कर तथा ग्रामीण रास्ते के मध्य से 12.50 मी0 छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है एवं इंडियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार/मापदण्ड अनुसार रोड के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जावेगा। जो भी लागू हो मान्य होगा।

11.उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समाप्त हो जायेगा।
- नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- संलग्न ले-आउट संपरिवर्तन आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तथा भूमि का उपयोग तदनुसार ही किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, महवा

विहित प्राधिकारी की मुहर

तारीख- 29.01.2020

सं0राजस्व / भू. रूपा. / 2020 /

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा।
- तहसीलदार, महवा।
- ग्राम पंचायत रामगड।
- पटवारी हल्का रामगड।
- आवेदक श्री बबेरवाड शिक्षा समिति महवा रजिस्टर्ड सं0 127 दौसा 2002-2003 जरिये अध्यक्ष प्रहलाद कुमार पुत्र राधाकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 पाखर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)।
- कार्यालय आदेश।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी, महवा  
विहित प्राधिकारी की मुहर